

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 144657
ग्रा0वि0-5/विविध-07/2012

पटना, दिनांक 08/04/2013

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
अरवल, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, कैमूर (भभुआ), खगडिया, किशनगंज, मधेपुरा,
मुजफ्फरपुर, सीतामढी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण ।

विषय :- इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है इंदिरा आवास के वैसे सभी लाभुक (पूर्व वर्षों सहित) जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त कर छः माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा राशि का दुरुपयोग किया है उनका वर्षवार सूची तैयार कर 1 माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रथम नोटिस उजला (सफेद) कागज में तथा कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रथम नोटिस के 1 माह के बाद द्वितीय नोटिस लाल मोटे कागज पर 1 माह के अंदर आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु भेजने का निदेश विभागीय पत्र संख्या-10193 दि0-11.11.09 द्वारा दिया गया था । यह भी निदेश दिया गया था कि नोटिस में निर्धारित समय सीमा तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में लाभुक से राशि वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी ।

इस संबंध में उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों में लगातार समीक्षा की जाती रही है तथा आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने की सुनिश्चितता के मद्देनजर तत्परता के साथ नोटिस निर्गत करने एवं राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई कर नियमित रूप से प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता रहा है, किन्तु आपके जिला से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न विहित प्रपत्र में साप्ताहिक प्रतिवेदन नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी

विहित प्रपत्र

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	कुल सर्वेक्षित लाभुक की सं0 जिन्हें इंदिरा आवास की राशि भुगतान की गई है	वैसे लाभुकों की सं0 जिन्होंने राशि प्राप्त कर छः माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण नहीं किया है	वैसे लाभुकों की सं0 जिनके विरुद्ध सफेद नोटिस किया गया	वैसे लाभुकों की सं0 जिनके विरुद्ध लाल नोटिस किया गया	वैसे लाभुकों की सं0 जिनके विरुद्ध वसूली हेतु नीलाम पत्र दायर किया गया	वैसे लाभुकों की सं0 जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी ग
1	2	3	4	5	6	7

जापांक 144657

पटना, दिनांक 08/04/2013

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को विहित प्रपत्र में साप्ताहिक प्रतिवेदन नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी